

हिमाचल प्रदेश सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (बी)

Annexure - J  
अनुबन्ध - ठ

संख्या: एस.जे.ई.बी-एफ(1)1 / 2011 दिनांक शिमला-2, 30 नवम्बर, 2011.

### अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग की उपरोक्त संख्या द्वारा  
दिनांक 24-08-2011 को जारी की गई योजना "माता शबरी महिला सशक्तिकरण  
योजना- 2011" में आंशिक संशोधन करते हुए इसे पुनः संलग्नक अनुबन्ध-क के  
अनुसार जारी करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा

सरोज कुमार दास  
प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: एस.जे.ई.बी-एफ(1)1 / 2011 दिनांक शिमला-2, 30 नवम्बर, 2011.  
प्रतिलिपि:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला-171003.
4. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को  
उनके पत्र संख्या: 9-3 / 2011-(एस)-एस.जे.ई. दिनांक 10.11.2011 के संदर्भ में, 25  
अतिरिक्त प्रतियों सहित।
5. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
6. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002. को  
दिनांक 08.08.2011 को हुई मंत्रीमण्डल की बैठक की मद संख्या 13 के निर्णय के  
संदर्भ में सूचनार्थ पृष्ठांकित की जाती है।
7. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
8. अवर सचिव (वित्त विनियम) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
9. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171005.  
को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु।

*Umar*  
अवर सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)  
हिमाचल प्रदेश सरकार

## अनुबन्ध - क

### हिमाचल प्रदेश माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना, 2011

#### १. शीर्ष :-

यह योजना हिमाचल प्रदेश माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना, 2011 कहलाएगी।

#### २. विस्तार तथा प्रारम्भ:-

यह योजना अधिसूचना जारी करने की तिथि से सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में लागू होगी।

#### ३. उद्देश्य:-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति के परिवारों की महिलाओं को अनुदान प्रदान करके उन्हे घरेलू कार्यों हेतु ईंधन लकड़ी एकत्रित करने जैसे कार्यों से राहत दिलवाना तथा पर्यावरण में सुधार लाना है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 75 लाभार्थियों (पूरे प्रदेश में कुल 5100) को इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा।

#### ४. परिभाषाएँ:-

(१) 'गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति परिवार' से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग / शहरी विकास विभाग द्वारा चयनित गरीब परिवारों के सदस्य से हैं।

(२) "सरकार" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश सरकार से है।

(३) "निदेशक" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक से है।

(४) "उपायुक्त" से अभिप्राय सम्बन्धित जिला के उपायुक्त से है।

(५) "जिला कार्यक्रम अधिकारी" से अभिप्राय सम्बन्धित जिला के जिला कार्यक्रम अधिकारी से है।

(६) "बाल विकास परियोजना अधिकारी" से अभिप्राय सम्बन्धित तहसील के बाल विकास परियोजना अधिकारी से है।

(७) "प्रपत्र" का अभिप्राय इस योजना के साथ संलग्न प्रपत्रों से है।

#### ५. पात्रता:-

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों से सम्बन्धित महिलाएं एल० पी० जी० गैस कुनैक्षण एवं चुल्हा खरीदने हेतु उपदान राशि प्राप्त करने की पात्र होंगी वशर्त कि उसके साथ रह रहे परिवार सदस्य एल० पी० जी० गैस कुनैक्षण धारक न हो।

#### ६. सहायता :-

इस योजना के अन्तर्गत एल० पी० जी० गैस कुनैक्षण खरीदने पर निम्नलिखित घटकों की खरीद पर आई कुल लागत के 50 % राशि की प्रतिपूर्ति जिसकी अधिकतम सीमा रु० 1300 होगी, उपदान के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी :-

- (2) पंजीकरण शुल्क गैस स्टोव (सिंगल वर्नर, आई एस आई मार्क )
- (3) पाईप
- (4) सरस्थापन शुल्क
- (5) नीली किताब शुल्क
- (6) प्रशासनिक शुल्क
- (7) गैस सिलेन्डर की कीमत (पहली बार)

7. सहायता प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया:-

- (i) पात्र लाभार्थियों का चयन सम्बन्धित ग्राम सभा / नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल मास में होने वाली ग्राम सभा / नगर पंचायत की बैठक में किया जाएगा। इस साल तथा सूची बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। इस साल यह चयन अक्टूबर माह की ग्राम सभा में किया जाएगा।
- (ii) इस सूची अनुसार पात्र महिला को उपदान राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रार्थना पत्र प्रपत्र -1 पर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना होगा।-
  - (1) अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
  - (2) वी० पी० एल० प्रमाण पत्र
- (iii) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करके पूर्ण पाये गए प्रार्थना-पत्रों को एक रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र -2 कम्प्यूटर पर तैयार करें, तथा पूर्ण प्रार्थना पत्रों की सूची सहित जिला कल्याण अधिकारी को भेजें। जिन प्रार्थना-पत्रों में औपचारिकताएं पूर्ण नहीं होंगी उन्हें प्रार्थी को औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु वापिस भेजे जाएं।
- (iv) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी से प्राप्त प्रस्तावों का विश्लेषण सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्राप्त प्रस्ताव में सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो। पूर्ण प्रार्थना-पत्रों की प्रतीक्षा सूची विधान सभा क्षेत्रवार / तिथि वार, पंचायतों/ शहरी निकायों वार निर्धारित प्रपत्र-3 पर कम्प्यूटर पर तैयार की जाएगी। अधूरे प्रार्थना पत्र एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी को वापिस भेजे जायेंगे जो उन्हें पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर प्रार्थी को औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु लौटाने होंगे।

8. उपदान राशि स्वीकृत करने की प्रक्रिया :-

- (i) योजना के अन्तर्गत सहायता राशि स्वीकृत करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में सक्षम होंगे।-
  - (क) जिला के सम्बन्धित उपायुक्त
  - (ख) उपमण्डल पांगी में स्थानीय आयुक्त

- (ग) उपमण्डल भरमौर में अतिरिक्त दण्डाधिकारी।
- (घ) उपमण्डल स्पिति में अतिरिक्त उपायुक्त
- (ड) उपमण्डल डोडरा-क्वार में उप-मण्डल अधिकारी(ना०)
- (ii) सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा पांगी, भरमौर, स्पिति, डोडरा-क्वार में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी बजट की उपलब्धता तथा निर्धारित भौतिक लक्ष्यों अनुसार विधानसभा क्षेत्रवार प्रतीक्षा सूचि में से प्रार्थना-पत्रों की प्राप्ति की के आधार पर स्वीकृती हेतु मामला सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किये जाएंगे।
- (iii) स्वीकृती आदेश की प्रतियां महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/जिला कोशाधिकारी को पृष्ठांकित की जायेगी।

**9. सहायता राशि तथा गैस कनैक्शन का वितरण:-**

- (i) सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी पांगी, भरमौर स्पिति, डोडरा-क्वार अपने कार्यक्षेत्रों के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी होंगे।
- (ii) स्वीकृति आदेश की प्राप्ति पर आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वीकृत राशी का आहरण करके उपदान राशी स्वीकृत लाभार्थियों की सूचि, नाम व पता सहित प्रबन्ध निदेशक हि०प्र० राज्य आपूर्ति निगम को भेजेंगे।
- (iii) प्रबन्ध निदेशक, हि०प्र० राज्य आपूर्ति निगम लाभार्थियों की सूची अपने सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धकों को भेजेंगे जो सूची में दिए गए लाभार्थियों को गैस कनैक्शन जारी करेंगे और उनसे उपदान राशि काट कर शेष राशि ली जाएगी। क्षेत्रीय प्रबन्धक, लाभार्थियों को गैस कनैक्शन जारी करते समय Termination Transfer Vouchers (TTV) जारी करेंगे, जिससे भविष्य में वे यह सुविधा अपने नजदीकी गैस एजेन्सी से प्राप्त कर सकें। लाभार्थियों से संरक्षण शुल्क, नीली किलाब शुल्क तथा स्थापना शुल्क नहीं लिया जाएगा।

**10. लम्बित मामलों की रिपोर्ट:-**

जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक छ: माह की समाप्ती पर प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध-४ पर निदेशक को भेजेंगे।

11. लेखा शीर्ष :-

हिमाचल प्रदेश माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत होने वाला व्यय लेखाशीर्ष 2225-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण- 01-समाज कल्याण-789-महिला कल्याण -09-(सूच) (योजना)-63-अनुदान के अन्तर्गत अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर महालेखाकार की सहमति रो किये गए संशोधित लेखाशीर्ष में प्रावधित बजट में से किया जायेगा।

12. लेखा के आडिट

योजना के संचालन का पूर्ण रिकार्ड जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा रखा जाएगा तथा योजना का आडिट महालेखाकार (लेखा) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय के द्वारा किया जायेगा।

.....

हिमाचल प्रदेश सरकार  
महिला एवं बाल कल्याण विभाग  
माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना के लिए प्रार्थना पत्र

(1)	प्रार्थी का नाम:	प्रार्थी का फोटो ग्राफ (बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सत्यापित)	
(2)	जन्म तिथि		
(3)	पिता / पति का नाम		
(4)	स्थाई पता: गांव _____ पिन कोड _____ तहसील _____	डा० _____ पंचायत _____ जिला _____	
(5)	वर्तमान पता: गांव _____ पिन कोड _____ तहसील _____	डा० _____ पंचायत _____ जिला _____	
(6)	क्या प्रार्थी बी० पी० एल० परिवार से सम्बद्धित हैं।		
(7)	बी० पी० एल० सं०:		
(8)	प्रार्थी के बैंक खाता का विवरण (क) बैंक खाता सं० _____ (ख) बैंक का खाता का नाम _____		
(9)	क्या प्रार्थी के परिवार के अन्य कोई सदरय एल० पी० जी० कनैक्शन धारक हैं, यदि हाँ विवरण		

दिनांक :-

प्रार्थी के हस्ताक्षर/ अंगुठे का निशान

घोषणा

मैं \_\_\_\_\_ पुत्रा/ पुत्री/ पत्नी \_\_\_\_\_  
गांव \_\_\_\_\_ डा० \_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_  
सत्यनिष्ठा लेकर अपने ज्ञान अनुसार यह घोषणा करती हूँ कि उक्त विवरण  
तथा तथ्य पूर्णतः सही है। इनमें कोई ऐसा तथ्य असत्य नहीं है और न ही इसमें कोई भी  
तथ्य छुपाया गया है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर/ अंगुठे का निशान

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. श्रीमती \_\_\_\_\_ पत्नी/पुत्री श्री \_\_\_\_\_ ग्राम \_\_\_\_\_ डा० \_\_\_\_\_  
तहसील \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ हिं०प्र० की स्थाई निवासी है।
2. श्रीमती \_\_\_\_\_ गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के सर्वेक्षण  
अनुसार कमांक \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ के चयनित परिवार का सदस्य है।
3. श्रीमती \_\_\_\_\_ के परिवार के अन्य कोई भी सदस्य के एल पी जी गैस कनैक्शन धारक  
नहीं हैं।

हस्ताक्षर  
पंचायत सचिव/सहायक  
ग्राम पंचायत/शहरी निकाय

हस्ताक्षर  
प्रधान ग्राम पंचायत/शहरी निकाय  
मोहर सहित

यदि लागू नहीं है तो काट दे।

सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट:-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_  
ग्राम \_\_\_\_\_ डा० \_\_\_\_\_  
तहसील \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ हिं०प्र० \_\_\_\_\_  
के द्वारा प्रार्थना पत्र में दिये गये पूर्ण तथ्यों की जांच की गई तथा सही पाया गया। अतः  
प्रार्थी को माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत उपदान राशि स्वीकृत करने  
की सिफारिश की जाती है।

दिनांक:-

हस्ताक्षर  
बाल विकास परियोजना अधिकारी  
(मोहर सहित)

प्रपत्र -2

क्र०सं0	पंचायत / शहरी निकाय का नाम	प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि	कमाक	प्रार्थी का नाम व पता	बी0पी0 एल0 न0	बैंक खाता का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
						शाखा का नाम बैंक खाता संख्या

स्वीकृती संख्या / दिनांक जिसके अन्तर्गत सहायता राशि स्वीकृत की गई	कुल स्वीकृत उपदान
8	9

क्रम संख्या	पंचायत / शहरी निकाय का नाम	प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता	प्रपत्र-३ बी०पी० एल० संख्या
1	2	3	4	5

बैंक खाता का विवरण

शाखा का नाम	6 खाता सं०
-------------	---------------

हिंदू माता शबरी महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत छः माह की समाप्ति पर प्रगति की रिपोर्ट

अवधि	जिला का नाम			
छः माह की अन्तिम तिथि तक कुल प्राप्त / लम्बित प्रार्थना पत्रों की संख्या	छः माह के दौरान कुल स्वीकृत प्रार्थना पत्रों की संख्या	उपदान की स्वीकृत राशि	छः माह के अन्त में जारी स्वीकृतियों उपरान्त लम्बित प्रार्थना पत्रों की संख्या	प्रार्थना पत्र के लम्बित रहने के कारण

1.

2.

3.

4.

5.

हिमाचल प्रदेश सरकार  
विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

संख्या: एस.जे.०५०—बी—एफ(१) / २०११—लूज

दिनांक: २५ जून २०१४

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या: एस.जे.ई—बी—एफ(१) - १ / २०११

दिनांक ३०/११/-२०११ का क्रम जारी रखते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, "माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना—२०११" में संलग्न अनुबन्ध—"क" के अनुसार संशोधन करने के संहर्ष आदेश देते हैं।

यह संशोधन अधिसूचना ०१—०४—२०१४ की तिथि से लागू होंगे।

आदेश द्वारा

६४९३  
२७६१४

प्रधान सचिव  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन: संख्या यथोपरि।

दिनांक २५ जून २०१४

१. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला—२
२. निजि सचिव, मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला—२
३. समर्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला—२
४. निजि सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
५. सप्रस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
६. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिमला—१
७. नियन्त्रक, हिमाचल प्रदेश लेखन मुद्रण एवं सागरी को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु।
८. अतिरिक्त सचिव (सा० प्र० विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—२
९. संरक्षक नस्ति।

Mirar

संयुक्त सचिव  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Mata Shabri Mahila Sashktikaran Yojna अनुबन्ध—“क”

Old Provision ४&7	New provisions applicable w.e.f. 01.04.2014.
<p><b>3. उददेश्य:-</b>          इस योजना का मुख्य उददेश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति के परिवारों की गहिलाओं को अनुदान प्रदान करके उन्हें घरेलू कार्य हेतु ईधन, लकड़ी एकत्रित करने जैसे कार्य से राहत दिलवाना तथा पर्यावरण में सुधार लाना है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 75 लाभार्थियों (पूरे प्रदेश में 5100 लाभार्थियों) को इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा।</p>	<p><b>3. उददेश्य:-</b>          इस योजना का मुख्य उददेश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवार जिनकी आय 35,000/- रु० से कम है की महिलाओं को अनुदान प्रदान कर उन्हें घरेलू कार्य हेतु ईधन, लकड़ी एकत्रित करने जैसे कार्य से राहत दिलवाना तथा पर्यावरण में सुधार लाना है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 75 लाभार्थियों (पूरे प्रदेश में 5100 लाभार्थियों) को इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा। However, it shall exclude income from MNREGA.</p>
<p><b>5. पात्रता:-</b>          इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों से सम्बन्धित महिलाएँ एल० पी० जी० गैस कनैक्शन एवं चूल्ला खरीदने हेतु उपदान राशि प्राप्त करने की पात्र होगी वश्ति कि उसके साथ रह रहे परिवार सदस्य एल० पी० जी० गैस कनैक्शन धारक न हो।</p>	<p><b>5. पात्रता:-</b>          इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सम्बन्धित महिलाएँ अथवा जिन महिलाओं की वार्षिक आय 35,000/- रु० या उससे कम हो को एल० पी० जी० गैस कनैक्शन एवं चूल्ला खरीदने हेतु उपदान राशि प्राप्त करने की पात्र होगी वश्ति कि उसके साथ रह रहे परिवार सदस्य एल० पी० जी० गैस कनैक्शन धारक न हो। परिवार की समस्त साधनों से आय का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। However, it shall exclude income from MNREGA.</p>
<p><b>7.(ii) सहायता प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया:-</b>          इस सूची अनुसार पात्र महिला को उपदान राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रार्थना पत्र प्रपत्र-१ पर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना होगा :—          (1) अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र।          (2) बी०पी० एल० प्रमाण पत्र।</p>	<p><b>7.(ii) सहायता प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया:-</b>          इस सूची अनुसार पात्र महिला को उपदान राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रार्थना पत्र प्रपत्र-१ पर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना होगा :—          (1) अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र।          (2) बी०पी० एल० प्रमाण पत्र।          (3) आय का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हो।</p>